

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर 2012—भाद्र 26, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 6430-294-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ६ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१२

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् २००२ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ९-ग का संशोधन.
५. धारा १० का संशोधन.
६. धारा १४ का संशोधन.
७. धारा १७ का संशोधन.
८. धारा २०-क का संशोधन.
९. धारा ३९ का संशोधन.
१०. धारा ४३ का संशोधन.
११. धारा ५५ का संशोधन.
१२. धारा ७१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ६ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१२

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १७ सितम्बर, २०१२ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१२ है.

(२) (क) इस संशोधन अध्यादेश की धारा ३ के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें.

(ख) इस संशोधन अध्यादेश की धारा ४ के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(ग) इस संशोधन अध्यादेश की धारा ८ के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे.

(घ) इस संशोधन अध्यादेश की धारा ९ के उपबंध १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे.

(ङ) इस संशोधन अध्यादेश के शेष उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसका प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् २००२ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ से १२ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (फ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(पांच) अनुसूची २ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल के विक्रय के लिए, धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित आइल कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम उस मूल्य के बराबर होना समझी जाएगी जिस पर कि रिटेल आउटलेट्स द्वारा उपभोक्ता को इन मालों का विक्रय किया जाएगा.”

४. मूल अधिनियम की धारा ९-ग में,—

धारा ९-ग का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) किसी भवन निर्माता से संबंधित माल के संबंध में, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन से उसके गोदाम तक ले जाने के संबंध में कोई कर देय नहीं होगा :

परंतु यह भी कि धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) किसी भवन निर्माता से संबंधित माल के संबंध में, नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, या ऐसे क्षेत्र के भीतर जो कि अधिसूचित किया जाए, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के संबंध में कोई कर देय नहीं होगा.”;

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(च) माल ले जाने वाले मोटर यान का प्रभारी व्यक्ति अपने साथ विहित प्ररूप में जारी की गई रसीद रखेगा.”;

(दो) उपधारा (२) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“परंतु यदि परिवहनकर्ता, धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) कोई भवन निर्माता है, तो ऐसे परिवहनकर्ता से इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे परिवहनकर्ता से, जो अनन्यरूप से धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) किसी भवन निर्माता का माल ही ले जाता है, इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.”;

(तीन) उपधारा (३) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(घ) ऐसे कर के संबंध में, जो उपधारा (४) के अधीन काटा गया है, रिबेट का कोई दावा नहीं किया जाएगा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.”;

(चार) उपधारा (६) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु धारा १८, २० तथा ३९ के उपबंध किसी ऐसे परिवहनकर्ता को लागू नहीं होंगे जो अनन्यरूप से धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) भवन निर्माता का माल ही ले जाता है.”;

(पांच) स्पष्टीकरण में,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) “मोटर यान” से अभिप्रेत है, मोटर यान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) के अर्थ के अंतर्गत कोई मोटर यान (परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाए गए हल्के मोटरयान तथा मध्यम मोटर यान को छोड़कर) जिसमें उससे संलग्न ट्रेलर सम्मिलित हैं”;

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) “नगरपालिक क्षेत्र” का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में उसके लिए दिया गया है.”

धारा १० का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, कोष्ठक तथा अंक “(१)” के स्थान पर, कोष्ठक तथा अंक “(२)” स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, दो बार आने वाले शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ख)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर “खण्ड (ख) या खण्ड (ग)” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (६) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(६ क) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी भी दशा में माल के किसी क्रय पर आगत कर रिबेट की राशि, माल के ऐसे क्रय के संबंध में शासकीय कोषालय में, अधिनियम के अधीन, वास्तविक रूप से चुकाए गए कर की राशि से अधिक नहीं होगी.”

धारा १७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, कोष्ठक तथा अंक “(१)” के स्थान पर, कोष्ठक तथा अंक “(२)” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, कोष्ठक तथा अंक “(१)” के स्थान पर, कोष्ठक तथा अंक “(२)” स्थापित किए जाएं.

धारा २०-क का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द “साठ लाख” के स्थान पर, शब्द “एक करोड़” स्थापित किए जाएं.

धारा ३९ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (२) में, शब्द “साठ लाख” के स्थान पर, शब्द “एक करोड़” स्थापित किए जाएं.

धारा ४३ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ४३ में, उपधारा (१) में, कोष्ठक तथा अक्षर “(छ)” के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर तथा शब्द “(छ) तथा (ज)” स्थापित किए जाएं.

धारा ५५ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५५, में उपधारा (१) में, कोष्ठक तथा अक्षर “(छ)” के स्थान पर, कोष्ठक तथा अक्षर “(ज)” स्थापित किए जाएं.

धारा ७१ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ७१, में उपधारा (२) में, खण्ड (घ) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक “की उपधारा (१)” का लोप किया जाए.

भोपाल :

तारीख १३ सितम्बर, २०१२.

रामनरेश यादव

राज्यपाल

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 6431-294-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 6 OF 2012

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2012

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Madhya Pradesh Act No. 20 of 2002 to be temporarily amended.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 9-C.
5. Amendment of Section 10.
6. Amendment of Section 14.
7. Amendment of Section 17.
8. Amendment of Section 20-A.
9. Amendment of Section 39.
10. Amendment of Section 43.
11. Amendment of Section 55.
12. Amendment of Section 71.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 6 OF 2012

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2012

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th September, 2012].

Promulgated by the Governor in the sixty-third year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2012.

(2) (a) The provisions of Section 3 of this amending Ordinance shall come into force from such date as the State Government may, by notification, appoint.

(b) The provisions of Section 4 of this amending Ordinance shall be deemed to have come into force from 1st April, 2012.

(c) The provisions of Section 8 of this amending Ordinance shall be applicable to the periods commencing on or after 1st April, 2012.

(d) The provisions of Section 9 of this amending Ordinance shall be applicable to the periods commencing on or after 1st April, 2011.

(e) The remaining provisions of this amending Ordinance shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 2002 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 12.

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the principal Act, in clause (v), in explanation, after clause (iv), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(v) The amount of valuable consideration received or receivable by oil companies notified under sub-section (2) of Section 9, for the sale of diesel and petrol, as specified in Part-III A of Schedule II, shall be deemed to be equivalent to the price, on which the retail outlets shall sell these goods to consumer.”

Amendment of Section 9-C.

4. In Section 9-C of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (a), in the existing proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided further that no tax shall be payable in respect of the goods belonging to a dealer registered under section 17 or a builder enrolled under Section 9-B, carried from railway station to his godown within the State of Madhya Pradesh:

Provided also that no tax shall be payable in respect of the goods belonging to a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B, carried from one place to other place within a municipal area or within such area as may be notified.”;

(b) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) the person incharge of a motor vehicle carrying the goods shall carry with him a receipt in the prescribed form.”;

- (ii) in sub-section (2), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

“Provided that if transporter is a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B, such transporter shall not be required to register under this sub-section:

Provided further that the transporter, who carries exclusively the goods belonging to a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B, shall not be required to register under this sub-section.”;

- (iii) in sub-section (3), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(d) No rebate shall be claimed or be allowed in respect of tax which has been deducted under sub-section (4).”;

- (iv) in sub-section (6), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the provisions of Sections 18, 20 and 39 shall not be applicable to a transporter, who carries exclusively the goods belonging to a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B.”;

- (v) in Explanation,—

- (a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) “Motor Vehicle” means a motor vehicle (other than light motor vehicle and medium motor vehicle used as transport vehicle) including trailer attached thereto within the meaning of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988)”;

- (b) after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(d) “municipal area” shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).”.

5. In Section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a), for the bracket and figure “(1)”, the bracket and figure “(2)” shall be substituted.

Amendment of Section 10.

6. In Section 14 of the principal Act,—

Amendment of Section 14.

- (i) in sub-section (1), in clause (b), for the word, bracket and letter “clause (b)” occurring twice, the words brackets and letters “clause (b) or clause (c)” shall be substituted;

- (ii) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(6-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, in no case the amount of input tax rebate on any purchase of goods shall exceed the amount of tax in respect of such purchase of goods, actually paid under the Act, into the Government Treasury.”.

Amendment of Section 17.

7. In Section 17 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (2), in clause (a), for the bracket and figure “(1)”, the bracket and figure “(2)” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (5), in clause (a), for the bracket and figure “(1)”, the bracket and figure “(2)” shall be substituted.

Amendment of Section 20-A.

8. In Section 20-A of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (i), for the words “sixty lacs”, the words “one crore” shall be substituted.

Amendment of Section 39.

9. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (2), for the words “sixty lacs”, the words “one crore” shall be substituted.

Amendment of Section 43.

10. In Section 43 of the principal Act, in sub-section (1), for the bracket and letter “(g)”, the brackets, letters and word “(g) and (h)” shall be substituted.

Amendment of Section 55.

11. In Section 55 of the principal Act, in sub-section (1), for the bracket and letter “(g)”, the bracket and letter “(h)” shall be substituted.

Amendment of Section 71.

12. In Section 71 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (d), the words, bracket and figure “sub-section (1) of” shall be omitted.

Bhopal :

Dated the 13th September, 2012.

RAMNARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.